पत्रांक-852 अधिनियम, वाद

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

सं0-563

अभिलेख उपस्थापित।

3 (1.) राजेश मुण्डा पिता स्व0 बासु मुण्डा, (2.) राजन मुण्डा पिता स्व0 महेन्द्र मुण्डा, (3.) प्रदीप मुण्डा पिता स्व0 नागेश्वर मुण्डा, (4.) कमल कुमार मुण्डा पिता स्व0 शुगेश्वर मुण्डा एवं (5.) संतोष कुमार मुण्डा पिता स्व0 रघु मुण्डा, सभी का निवास स्थान ग्राम-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना सं0-154, खाता संख्या-44 प्लॉट संख्या-377 रकवा-0.04 एकड़, खाता संख्या-04 प्लॉट संख्या-375 रकवा-0.03 एकड़ एवं खाता संख्या-67 प्लॉट संख्या-376 रकवा-0.0350 एकड़ कुल रकवा 0.1050 एकड़ (10.50 डिसमिल) (दस दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि फुलोरिया तिर्की पति सुरेन मिंज, निवास स्थान ग्राम-बलोरनपुर, पोस्ट-चन्दवार, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि संबंधित कागजात संलग्न कर आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-801/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 6099/रा0 दिनांक 26.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 852 दिनांक 03.05.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं एक थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती किस्म की भूमि है। खाता संख्या-04 के खतियानी रैयत उतीम मुण्डा वगै0, खाता संख्या-44 के खतियानी रैयत बिरसहाई मुण्डा, खाता संख्या-67 के खतियानी रैयत सोहन मुण्डा हैं। पंजी-II अनुसार खाता संख्या-04, 44 एवं 67 का रकवा क्रमशः 3.4037 एकड़, 2.27 एकड़ एवं 0.4425 एकड़ भूमि पंजी-II में दर्ज है। खाता संख्या-04 की जमाबंदी बिशुन मुण्डा वगै0 के नाम से पंजी-II के पृष्ठ संख्या-[illegible] पर, खाता संख्या-44 की जमाबंदी मंगर मुण्डा एवं माधो मुण्डा के नाम से पंजी-II के पृष्ठ संख्या-[illegible] पर तथा खाता संख्या-67 की जमाबंदी छक्कन एवं जहक मुण्डा के नाम से पृष्ठ संख्या-[illegible] पर दर्ज है। आवेदक संख्या-01 एवं 02 के परदादा, आवेदक

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
	2	

संख्या-03, 04 और 05 के दाखा वर्ग0 जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता संख्या-04 में रकबा 3.3737 एकड़, खाता संख्या-44 में रकबा 2.23 एकड़ तथा खाता संख्या-67 में रकबा 0.4075 एकड़ भूमि बचता है। आवेदकगण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) राजेश मुण्डा पिता स्व0 बासु मुण्डा, (2.) राजन मुण्डा पिता स्व0 महेन्द्र मुण्डा, (3.) प्रदीप मुण्डा पिता स्व0 नागेश्वर मुण्डा, (4.) कमल कुमार मुण्डा पिता स्व0 सुगेश्वर मुण्डा एवं (5.) संतोष कुमार मुण्डा पिता स्व0 रघु मुण्डा, सभी का निवास स्थान ग्राम-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-44 प्लॉट संख्या-377 रकबा-0.04 एकड़, खाता संख्या-04 प्लॉट संख्या-375 रकबा-0.03 एकड़ एवं खाता संख्या-67 प्लॉट संख्या-376 रकबा-0.0350 एकड़ कुल रकबा 0.1050 एकड़ (10.50 डिसमिल) (दस दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि फुलोरिया तिर्की पति सुरेन मिंज, निवास स्थान ग्राम-बहोरनपुर, पोस्ट-बन्दवार, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.07.03 11:37:57 +05:30
Location: 192.168.0.105